



कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण।

(प्रशासनिक शाखा)

Email-Id- Deosaran.edn@gmail.com

Mobile-no- +918544411907



पत्रांक.....

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
सारण।

छपरा, दिनांक.....

विषय:-
महाशय,

प्रधान शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए, वेतन निर्धारण करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि सारण जिला अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों में BPSC से नियुक्त प्रधान शिक्षक को उनके योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ नियोजित शिक्षकों की भांति दिया जाना है। सचिव के पत्रांक 4208 दिनांक 29.11.25 के द्वारा यह निदेश प्राप्त है कि वैसे शिक्षक जो नियोजित रूप से प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत थे तथा BPSC से प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त हैं। उनके योगदान की तिथि नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षकों की भांति वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाना है।

क्र० स०	विद्यालय का नाम	शिक्षक का नाम	नियोजित शिक्षक के रूप में 31. 12.2024 को प्राप्त मूलवेतन	31.03.2025 को प्राप्त मूल वेतन	प्रधान शिक्षक बनने के पूर्व मूल वेतन	शिक्षक का कोटि प्रधान शिक्षक बनने से पूर्व	प्रधान शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि	अभियुक्ति
	1	2	3	4	5	6	7	8

अतः आपको निदेश दिया जाता है कि विहित प्रपत्र में Soft copy तथा Hard Copy में सूचना भरकर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में लिपिक रौशन कुमार सिंह को यहां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अग्रेतर करवाई की जा सकें।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, सारण।
25/9/26

जिला शिक्षा पदाधिकारी
सारण, छपरा।
25/9/26

प्रतिलिपि:-

ज्ञापांक 2054 छपरा/दिनांक 29/09/2026
जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य प्रेषित।